1.4 सुनियोजित औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में कोठारी आयोग तथा महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ

सुनियोजित औद्योगिकीकरण के दौरान, आजाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण तथ सोची समझी छेड़छाड़ की गयी तथा कोई भी विमर्श गुणात्मक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह के दमन का सबसे उपयुक्त उदाहरण महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तावित 'नई तालीम' का है। 'नई तालीम के तहत यह प्रस्तावित था कि उत्पादक कामों को शिक्षा के केन्द्र में रखकर उनके जरिये ज्ञान प्राप्ति एवं ज्ञान सृजन का क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्र स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा बने, लेकिन 'नई तालीम के इस स्वरूप को विभिन्न समितियों तथा आयोगों ने कभी व्यावसायिक शिक्षा, कभी कार्यनुभव तो कभी

'समाजोपयोगी उत्पादक कार्य' का रूप देकर निरर्थक कर दिया तथा अप्रत्यक्ष रूप से सुनियोजित औद्योगिकीकरण के नाम पर बड़े व महत्वपूर्ण घरानों को पोषित किया तथा भारतीय समाज के जनमानस के मध्य चेतना, विकास इत्यादि कागजों पर ही ज्यादा दिखाई दिया। आजादी के बाद जब शिक्षा में जन अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन नहीं हुये तो धारणा यह भी बनी कि सभी आयोगों और समितियों की अनुशंसाएँ तो ठीक ही होती है, गड़बड़ केवल उनके क्रियान्वयन में हैं लेकिन यहाँ समझने की बात यह भी है कि विभिन्न आयोगों और समितियों की संस्तुतियों में गहरे अंतर रहे हैं तथा उनके परिप्रेक्ष्य व बुनियादी मान्यताएँ भी विरोधाभासी रहीं हैं। कोठारी आयोग भी इसी कड़ी में कोई अपवाद नहीं रहा है।

समतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा देने वाली कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 'समान स्कूल प्रणाली' और 'पड़ोसी स्कूल' की बहुत ही सन्दर अवधारणा को सवाल उठाकर तथा गैर व्यावहारिक की संज्ञा देकर टाल दिया गया। औद्योगिकीकरण के उस दौर में आम मान्यता यह रही कि वर्तमान शिक्षा की मुख्य धारा का सामाजिक चरित्र सभी प्रश्नों के परे है। यदि कोई विद्यार्थी इस प्रणाली में पिछड़ जाता है तो गड़बड़ी विद्यार्थी में है न कि शिक्षा प्रणाली में। इसी आम मान्यता के चलते कोठारी आयोग की बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ निरर्थक ही रही और महज कागजों में शोभा बढ़ाई। इन तमाम मुश्किलों तथा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोठारी आयोग के निम्नलिखित बिन्दु विज्ञान, विज्ञान शिक्षा, विज्ञान के अनुसंधान तथा औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण रहे हैं-

1.4.1 शिक्षा और उत्पादिता

शिक्षा और उत्पादिता के बीच सम्बन्ध तभी स्थापित किया जा सकता है, जबकि शिक्षा के पुर्ननिर्माण से सम्बन्धित योजनाओं में निम्नलिखित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देकर उनका विकास किया जाये-

i. शिक्षा और संस्कृति के मूल अंग के रूप में विज्ञान।
ii. सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्यानुभव।
iii. उद्योग, कृषि और व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का व्यावसायिकरण विशेषकर माध्यमिक स्कूल स्तर पर।
iv. विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक शिक्षा एवं अनुसंधान में सुधार किन्तु कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों पर विशेष जोर।

1.4.2 शिक्षा और आधुनिकीकरण

आयोग लिखता है कि परम्परागत समाज के मुकाबले आधुनिक समाज की सबसे बडी विशेषता उसके द्वारा अपनाया गया विज्ञान आधारित शिल्प विज्ञान हैं विज्ञान ने ही इस ना उत्पादन चमत्कारिक ढंग से बढ़ा सकने में समर्थ बनाया है किन्तु यहाँ इस ा जाये कि विज्ञान आधारित शिल्प विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम सामा जीवन पर होते हैं और उसके कारण ऐसे मूलभूत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें मोटे तौर पर

'आधुनिकीकरण' कहा जाता है। शिक्षा के पुर्ननिर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर इस आधुनिकीकरण के प्रभाव को हम निम्नलिखित बिन्दुओं को समझने का प्रयास करेंगे।

i. ज्ञान का विस्फोट
ii. जल्दी-जल्दी होने वाला सामाजिक परिवर्तन
iii. शीघ्र उन्नति की आवश्यकता
iv. आधुनिकीकरण और शिक्षा की प्रगति

1.4.3 सुनियोजित औद्योगिकीकरण तथा महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ

कोठारी आयोग लिखता है कि, ''औद्योगिकीकरण में सफलता काफी हद तक पर्याप्त कुशल जनशक्ति होने पर निर्भर करती है।'' भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव (4 मार्च, 1958) में कहा था कि ''किसी राष्ट्र का धन व समृद्धि औद्योगीकरण द्वारा उसके मानव तथा भौतिक साधनों के समुचित उपयोग पर निर्भर करता है। मनुष्य का औद्योगीकरण में उपयोग करने के लिए यह जरूरी है उसे विज्ञान की शिक्षा तथा तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाये। उद्योग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सम्पन्नता की सम्भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भारत की जनशक्ति का पर्याप्त साधन प्रशिक्षित तथा शिक्षित होने पर ही आधुनिक संसार में उपयोगी बन सकता है।'' इस बात की सफलता निम्नलिखित स्तर की योग्यताओं से है-

i. अर्द्धकुशल तथा कुशल कामगरों का प्रशिक्षण।
ii. तकनीशियन का प्रशिक्षण।
iii. अन्य व्यावसायिक शिक्षा।
iv. लघु उद्योग तथा स्वयं नियोजन के लिए शिक्षा।
v. इंजीनियरी की शिक्षा।

इनके साथ-साथ आयोग ने विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की है जिसे आप विस्तार से आयोग के प्रतिवेदन में सोलहवें अध्याय में देख सकते हैं।

1.4.4 कोठारी आयोग: सम्पूर्ण प्रतिवेदन का सारांश

कोठारी आयोगी की वृहत्तर प्रतिवेदन (लगभग 673 पृष्ठ) पर एक सरसरी नजर आपको इस आयोग को सम्पूर्ण रूप से समझने में सहायक होगी। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जो कि निम्नलिखित हैं-

i. **शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य**- राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, आधुनिकीकरण में गतिशीलता तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास।

ii. **शिक्षा की संरचना**- एक से तीन वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दस वर्ष की सामान्य निर्विकल्प शिक्षा, दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए त्रिवर्षीय उच्च शिक्षा का सुझाव।

iii. **अध्यापकों की दशा** - अध्यापकों की दशा को सुधारने के लिए कई प्रकार के सुझाव तथा पारितोषिक प्रस्तावित किये गये।

iv. **अध्यापक प्रशिक्षण**- अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिये गये जिसमें राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन भी प्रस्तावित किये गये।

v. **नामांकन तथा मानव संशाधन** - राष्ट्र के पुर्ननिर्माण के मानव संसाधन के विकास को महत्व देते हुए कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षा के स्तरों तथा विभिन्न स्तरों पर पहुँच बनाने के लिए सुझाव दिये गये।

vi. **शैक्षिक समानता** - किसी भी आधार पर किसी भी तरह की असमानता का विरोध करते हुए आयोग ने शैक्षिक समानता को भारतीय समाज की एक विशेषता के रूप में स्थापित करने के लिए अपने सुझाव दिये।

vii. **स्कूल शिक्षा का विस्तार** - स्कूल शिक्षा के विस्तार पर कोठारी आयोग ने बहुत बल दिया तथा इसे सम्पूर्ण विकास का आधार मानते हुए, इसे विकसित करने के लिए सुझाव दिये।

viii. **स्कूल पाठ्यक्रम** - आधुनिक समय में 'ज्ञान के विस्फोट' को ध्यान में रखते हुए स्कूल पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन के लिए आयोग ने सुझाव दिया।

ix. **स्कूल शिक्षा पद्धति**- उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक, निर्देशन व विचार-विमर्श तथा मूल्यांकन शिक्षा के अंतर्निहित अंग होने चाहिए।

x. **स्कूल निरीक्षण**- सहानुभूतिपूर्ण तथा क्रियाशील प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर बल।

xi. **उच्च शिक्षा के उद्देश्य**- नवीन ज्ञान की खोज, नेतृत्व प्रदान करना, विभिन्न व्यावसायों में दक्षता, समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ाना, वांछित मूल्यों का विकास करना तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के समकक्ष वृहद विश्वविद्यालयों की स्थापना।

xii. **उच्च शिक्षा में प्रवेश व कार्यक्रम** - मानव संसाधन की आवश्यकताओं के अनुरूप चयनित प्रवेश नीति तथा इस हेतु 'केन्द्रीय परीक्षण संस्थान' की स्थापना, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन तथा शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल।

xiii. **विश्वविद्यालयों की व्यवस्था** - पूर्ण स्वायत्तता पर बल।

xiv. **कृषि शिक्षा**- प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना को वरीयता, कृषि शिक्षा का सामान्य शिक्षा का एक अंग बनाने पर बल।

xv. **व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा** - आयोग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्नमुख बनाने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व देने का सुझाव।

xvi. **विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान** - गणित व विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र खोलने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक पक्षो के बीच संतुलन, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान अनुसंधान को समृद्ध करना तथा प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, विज्ञान की राष्ट्रीय नीति बनाना, वैज्ञानिकों की समस्याएँ हल करने, विज्ञान अकादमी के पुनर्गठन के सुझाव।

xvii. **प्रौढ़ शिक्षा** - राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना करके प्रौढ़ शिक्षा का संगठन तथा प्रशासन करने का सुझाव।

xviii. **शैक्षिक योजना तथा प्रशासन** - स्थानीय तथा राज्य स्तर के शैक्षिक प्रशासन में सुधार के सुझाव।

xix. **शैक्षिक अर्थव्यवस्था**- शिक्षा के आर्थिक स्रोतों तथा शैक्षिक व्यय पर सुझाव।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
2. भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) के समक्ष मुख्य विचारणीय मुद्दे क्या थे?

1.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (पृष्ठभूमि)

भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य, जैसा कि विभिन्न शैक्षिक नीतियों द्वारा कल्पित किया गया, एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा पहुँच, समता, समानता, प्रासंगिकता तथा गुणवत्ता को शिक्षा के सभी स्तरों पर सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का उद्भव शून्यता से नहीं वरन् इसकी पृष्ठभूमि में आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किये जाने वाले प्रयासों के तहत आने वाली समितियों तथा आयोगों (आजादी पूर्व तथा पश्चात् दोनों) विशेषकर आजाद भारत के, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968, शिक्षा की चुनौती: नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (1985) तथा अन्य कई छोटी बड़ी समितियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के लिए दिशा व दशा सुनिश्चित की। सन् 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा एक नई शुरूआत करते हुए बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व की संस्तुतियों तथा वर्तमान सन्दर्भ के तहत विश्लेषण करते हुए, 'शिक्षा की चुनौती: नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य- नामक 68 पृष्ठीय दस्तावेज तैयार किया गया जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के लिए आधार बना। राष्ट्रीय शिक्षा

नीति-1986 को कुल बारह खण्डों में बांटा गया जिनमें कुल 157 बिन्दुओं के तहत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया है जो कि बिन्दुवार निम्नलिखित हैं-

i. प्रस्तावना
ii. शिक्षा का सार तथा भूमिका
iii. शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली
iv. समानता के लिए शिक्षा
v. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन
vi. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा
vii. शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन
viii. शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण
ix. अध्यापक
x. शिक्षा का प्रबन्ध
xi. संसाधन तथा समीक्षा
xii. भावी स्वरूप

नई शिक्षा नीति (1986) को 21वीं सदी के छात्रों को तैयार करने की मंशा से विकसित किया गया था, ऐसे छात्र जो वैश्विक विकास, उभरती हुई तकनीकी तथा अंतर-सांस्कृतिक जटिलताओं का सामना कर सकें तथा देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सके। आजाद भारत में आजदी के लगभग 40 वर्षों के पश्चात् नीति निर्माताओं ने पहली बार एक विस्तृत कार्यान्वयन कार्यक्रम-1986 भी विकसित किया, ताकि शिक्षा नीति की सभी संस्तुतियों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। इसके लिए 23 कार्यदल निर्मित किये गये जिनमें शिक्षाशास्त्री, विषय के विद्वान, योजनाकार, प्रशासक तथा अन्य नीति निर्धारक लोग शामिल थे। प्रत्येक कार्यदल ने अपने लिए आवंटित क्षेत्र का विस्तृत कार्य योजना तैयार की तथा इस कार्य योजना में सभी उपस्थित संदर्भित तत्वों का ध्यान रखा गया। इस तरह एक बहुत ही विस्तृत आख्या, जिसे 'कार्यान्वयन कार्यक्रम' कहा गया, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस 'कार्यान्वयन कार्यक्रम' के 23 कार्यदल निम्नलिखित थे-

i. शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना।
ii. स्कूल शिक्षा की पाठ्यपुस्तक तथा प्रक्रियाएँ।
iii. नारी समानता के लिए शिक्षा।
iv. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा।
v. अल्पसंख्यकों की शिक्षा।
vi. विकलांगों की शिक्षा।
vii. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा।
viii. पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या तथा शिक्षा।

ix. अनौपचारिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सहित प्रारम्भिक शिक्षा।
x. माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय।
xi. व्यावसायीकरण।
xii. उच्च शिक्षा।
xiii. मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर अधिगम।
xiv. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा।
xv. अनुसंधान एवं विकास।
xvi. शिक्षा में संगणक का उपयोग सहित संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी।
xvii. उपब्धियों को रोजगार से विलग करना तथा मानव शक्ति नियोजन।
xviii. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य तथा भाषा नीति को लागू करना।
xix. खेल शारीरिक शिक्षा तथा युवा।
xx. मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार।
xxi. अध्यापक तथा उनका प्रशिक्षण।
xxii. शिक्षा का प्रबन्ध।
xxiii. ग्रामीण विश्वविद्यालय/संस्थान।

सीमित समयसीमा के बावजूद कार्यदलों ने अपना कार्य पूर्ण करके अपनी-अपनी आख्याएँ प्रस्तुत कर दी, परिणामस्वरूप कार्यान्वयन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया।

1.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (समीक्षा 1992)

1989 में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा नीति में भी परिवर्तन की मांग के चलते नई सरकार ने 7 मई 1990 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित कर दी। इस समिति के समक्ष निम्नलिखित विषय विचारार्थ थे-

i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 तथा इसके कार्यन्वयन की समीक्षा।
ii. नीति के संशोधन के सम्बन्ध में संस्तुति करना।
iii. संशोधित नीति के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्ययोजना सुझाना।

इस समिति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति ने उपरोक्त वर्णित विषय पर विचार करने के लिए निम्नलिखित छः उपसमितियों का गठन किया।-

i. उपसमिति 1 पहुँच, समता तथा सर्वीकरण
ii. उपसमिति 2 शिक्षा और काम का अधिकार
iii. उपसमिति 3 शिक्षा की कोटि और मानदंड
iv. उपसमिति 4 राष्ट्रीय एकता, मूल्य शिक्षा और चरित्र निर्माण
v. उपसमिति 5 संसाधन और प्रबन्ध
vi. उपसमिति 6 ग्राम शिक्षा